विहंगावलोकन

टाट्रा वाहनों के स्वदेशीकरण में अत्यधिक विलंब ।

भारत अॅर्थ मूवर्स लिमिटेड जो एक रक्षा पी एस यू है, ने भारतीय थलसेना की निरंतर आवश्यकता को पूरा करने के लिए तथा आत्म-निर्भरता प्राप्त करने और विदेशी विनिमय में बचत करने हेतु चेकोस्लोवाकिया के मेसर्स ओमनीपॉल के साथ 1986 में टाट्रा वाहनों के स्वदेशीकरण के लिए एक सहयोग उपबंध पर हस्ताक्षर किए। बी ई एम एल द्वारा 1991 तक 86 प्रतिशत स्वदेशीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य परिकल्पित किया गया था। तथापि, 2014 तक यह लक्ष्य प्राप्त नही किया गया है। बी ई एम एल ने 1986 और 1991 के बीच वाहनों के पर्याप्त संख्या में आदेश देने में मंत्रालय की विफलता को इस विलंब का मुख्य कारण बताया। थलसेना द्वारा बी ई एम एल को दीर्घ अवधि के लिए दिए गए आदेशों में स्पष्ट कमी के कारण टाट्रा वाहनों की स्वदेशीकरण प्रक्रिया को नुकसान हुआ। इसके परिणामस्वरूप टाट्रा वाहनों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता का लक्ष्य विफल हो गया।

(पैराग्राफ 2.1)

₹ 27.32 करोड़ मूल्य के अस्वीकार्य उपकरणों की अधिप्राप्ति ।

रक्षा मंत्रालय ने रासायनिक एजेंटों एवं विषैले औद्योगिक मिश्रणों की उपस्थिति का पता लगाने हेतु जनवरी 2010 और अक्तूबर 2010 के बीच ₹27.32 करोड़ मूल्य के 999 व्यक्तिगत रासायनिक एजेंट डिटेक्टरों आई सी ए डी का आयात किया। डी पी पी द्वारा निर्धारित प्रकार से, जहाँ उपकरण को संभावित रूप में तैनात किया जाना है, ऐसे परिवेश में फील्ड मूल्यांकन परीक्षणों के न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹27.32 करोड़ मूल्य के त्रुटिपूर्ण आई सी ए डी को स्वीकार किया गया था। जून 2014 के अनुसार फर्म द्वारा अगस्त 2011 से इन उपकरणों का प्रतिस्थापन किया जाना था।

(पैराग्राफ 2.2)

यूनाईटिड सर्विस क्लब मुम्बई द्वारा रक्षा भूमि के अनधिकृत उपयोग के कारण राजस्व की हानि।

यूनाईटिड सर्विस क्लब मुम्बई के कब्जे वाली रक्षा भूमि के लिए पट्टा करने के लिए सरकार की मंजूरी प्राप्त करने हेतु कोलाबा के स्थानीय सैन्य अधिकारियों की विफलता और आगे रक्षा संपदा विभाग द्वारा इस मामले को आगे नही बढ़ाने के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने में प्रतिवर्ष ₹5.74 करोड़ के राजस्व की आवर्ती हानि हुई। संसद की लोक लेखा समिति को दिए गए आश्वासन की कि यू.एस. क्लब के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी, निगरानी करने में रक्षा मंत्रालय विफल रहा, जिसके कारण 114.85 करोड़ मूल्य की ए-1 रक्षा भूमि का सरकार की मंजूरी के बिना प्रतिवर्ष 0.36 लाख के नाममात्र किराए पर व्यावसायिक दोहन जारी रहा।

(पैराग्राफ 2.3)

पट्टे वाली रक्षा भूमि पर अनियमित निर्माण

किरकी छावनी में ₹4.56 एकड़ भूमि के साथ ओल्ड ग्रॉंट बंगले को आवासीय उद्देश्य के लिए पट्टे पर दिया गया था। रक्षा संपदा अधिकारी (डी ई ओ) द्वारा पावर ऑफ अटार्नी धारक (पी ओ ए एच) के

साथ पुनर्निर्माण हेतु अनियमित विलेख का निष्पादन तथा पी ओ ए एच/अधिभोग अधिकार धारक के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने में डी ई ओ और छावनी कार्यकारी अधिकारी की विफलता ने ₹ 22.14 करोड़ मूल्य की रक्षा भूमि पर एक सामुदायिक केंद्र का अवैध निर्माण करने के लिए पी ओ ए एच को सुकर बनाया।

(पैराग्राफ 2.4)

रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और परमाणु (सी बी आर एन) उपकरणों की अधिप्राप्ति में ₹88.39 करोड़ का निरर्थक व्यय।

रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और परमाणु उपकरणों से संबंधित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के तहत आने वाली मदों की अधिप्राप्ति में रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय, थलसेना द्वारा विवेकहीन नियोजन के परिणामस्वरूप एन बी सी सूट परमिएबल, जो आई पी ई का मुख्य घटक है, की अधिप्राप्ति नही हुई। अनुकूलता समस्या का समाधान किए बिना आई पी ई की अन्य आठ मदों पर किए गए ₹88.39 करोड़ के व्यय ने एन बी सी युद्ध की स्थिति में सुनिश्चित सुरक्षा के उद्देश्य को विफल कर दिया।

(पैराग्राफ 3.1)

फील्ड फायरिंग रेंज से धातु स्क्रैप के संचयन न करने के कारण राजस्व की हानि।

इस अनुदेश के बावजूद कि फील्ड फायरिंग रेंज से गोलाबारी किये गये गोलाबारूद के स्क्रैप को संचयन हेतु नियमित संविदा अन्तिम रूप से न होने पर किराये के सिविल श्रम के माध्यम से ₹2.32 करोड़ की 285 मॉट्रिक टन धातु स्क्रैप को संग्रहण करने में सैन्य अधिकारी विफल रहे।

(पैराग्राफ 3.3)

दोषपूर्ण टायरों की अधिप्राप्ति ।

यह जानने के बावजूद कि टायरों को घटिया किस्म की सामग्री से विनिर्मित किया गया था, सेना मुख्यालय ने टायरों की अधिप्राप्ति पर ₹ 2.65 करोड़ खर्च किये।

(पैराग्राफ 3.4)

सी ओ डी आगरा द्वारा बैटरियों का अधिक प्रावधान कर अमितव्ययी रूप से जारी करना।

सेना मुख्यालय द्वारा 2009 के दौरान ₹7.16 करोड़ की लागत की बैटरी 'ए' का अधिक प्रावधान करने के कारण विशाल भंडार को परिसमाप्त करने के लिए कम लागत वाली बैटरी 'बी' और 'सी' के बदले में 2013 के दौरान ₹1.91 करोड़ लागत की बैटरी 'ए' का अमितव्ययी रूप से जारी की।

(पैराग्राफ 3.5)

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियाँ, बचतें और लेखाओं के समायोजन।

लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के अनुवर्तन पर लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 68.01 करोड़ के शुद्व प्रभावयुक्त वेतन एवं भत्तों, विविध प्रभारों और विद्युत प्रभारों की वसूलियों से सम्बन्धित भुगतानाधिक्य की वसूली की, कार्यो की अनियमित संस्वीकृतियों को निरस्त किया और वार्षिक लेखाओं को संशोधित किया।

(पैराग्राफ 3.6)

अतिरिक्त आवास इकाईयों के निर्माण पर परिहार्य व्यय ।

जे सी ओ हेतु विवाहितों के आवास की आवश्यकता को सही निर्धारण करने में स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों चैन्ने की विफलता के फलस्वरूप कुल ₹1.79 करोड़ की लागत पर आवश्यकता से अधिक 17 आवासिय इकाईयों का निर्माण किया।

(पैराग्राफ 4.1)

ठेकेदार को खाली स्थल सौंपने में हुए अत्यधिक विलंब के कारण वृद्वि प्रभारो का परिहार्य भुगतान।

मुख्य अभियंता शिलोंग अंचल ने 13 गोलाबारूद्व भंडारण के आवासों के निर्माण हेतु एक संविदा की जिसके लिए दुर्ग अभियंता ने खाली उपलब्ध स्थल हेतु एक गलत प्रमाण पत्र जारी किया। कार्य के समापन में इस अत्यधिक विलंब के कारण समापन अवधि के अंदर कार्य के समापन हेतु ठेकेदार को देय सामान्य वृद्वि प्रभार के अतिरिक्त ₹4.58 करोड़ का अतिरिक्त वृद्वि प्रभार के रूप में परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 4.2)

अनुचित स्थल के चयन के परिणामस्वरूप ₹5.49 करोड़ व्यय के बाद कार्य को रोकना।

सैन्य अभियंता सेवाएँ और स्थानीय सेना प्राधिकारियों ने सेना के लिए विवाहितों के आवास के अलावा ओ.टी.एम. के निर्माण हेतु योजना चरण पर उचित स्थल को अभी निर्धारण नही कर सके, इसके परिणामस्वरूप ₹5.49 करोड़ खर्च करने के उपरान्त कार्य को पहले ही बंद कर दिया गया।

(पैराग्राफ 4.3)

एक बहुउद्धेशीय हॉल के निर्माण के लिए धन का अनधिकृत उपयोग।

दो सीमा सड़क कार्य दलों के लिए दो भंडारण आवासों के निर्माण हेतु आबंटित किया गया धन ₹ 0.93 करोड़ 489 वर्ग मीटर का स्वीकृत क्षेत्र के प्रति 1556 वर्ग मीटर के क्षेत्र के साथ बड़ा बहुउद्धेशीय हॉल का निर्माण अनधिकृत प्रयोग के लिए किया गया।

(पैराग्राफ 5.1)

अवमृदा की जाँच के बिना पुल का निर्माण जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.75 करोड़ की हानि।

मुख्य अभियंता (परियोजना) पुष्पक के अधीन कार्य दल द्वारा अवमृदा की जाँच किये बिना जो भारतीय सड़क काग्रेस के संहिताओं के तहत आवश्यक थी पुल के कार्य के लिए नीवं की खुदाई पर ₹0.75 करोड़ खर्च किए जिसके परिणामस्वरूप लोकधन की हानि हुई क्योंकि स्थल भूस्खलन संभावित क्षेत्र बन गया जो अवमृदा के बाद सचेत किया जा सकता था।

(पैराग्राफ 5.2)

वाहन अनुसंधान तथा विकास संस्थापन अहमदनगर और लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास संस्थापन, अवाडी में परियोजना प्रबंधन।

रक्षा सेनाओं द्वारा माँगे गए उत्पादों की डिलिवरी के लिए अप्रैल 1998 से मार्च 2013 तक की अवधि के दौरान सी वी आर डी ई एवं वी आर डी ई द्वारा ली गई स्टाफ एवं टी डी/आर एण्ड डी परियोजनाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्न देखा गयाः

सी वी आर डी ई में:- अप्रैल 1998 से मार्च 2013 तक दो स्टाफ परियोजनाओं को बंद किया जिसमें से एक परियोजना प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के दौर से गुजर रही थी परन्तु उत्पादनकरण अभी भी होना था। अन्य परियोजना में हालॉकि प्रयोक्ता द्वारा विकसित प्रणाली को स्वीकार किया गया था, पर विदेशी विक्रेता पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण उत्पादनकरण नही हो सका।

वी आर डी ई में :- अप्रैल 1998 से मार्च 2013 तक के दौरान बंद की गई 9 परियोजनाओं में से मात्र एक परियोजना उत्पादनकरण के दौर से गुजरी। अन्य परियोजना के लिए हालॉकि प्रयोगशाला द्वारा यह कहा गया कि परियोजना सफलतापूर्वक समाप्त हुई है, सेवा में शामिल करने के लिए प्रयोक्ता द्वारा स्वीकृत विवरण प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत नही किया जा सका। तीसरी परियोजना में परियोजना माँग को आंशिक रूप में पूरा किया और शेष छः परियोजनाओं में प्रयोक्ता द्वारा स्वीकृति के मामलों में सफलता प्राप्त नही कर सकी।

सामान्य स्टाफ गुणात्मक माँग के बिना परियोजनाओं की शुरूआत करना, अपेक्षित डेलिवरेबल्सों को विकसित करने में प्रयोगशाला की विफलता तथा त्रुटिपूर्ण नियोजन इस सफलता के लिए मुख्य कारण थे।

प्रोद्योगिकी प्रदर्शन/आर एण्ड डी परियोजनाएः- दो प्रयोगशालाओं द्वारा ली गई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजनाओं की स्थिति भी उत्साहजनक नही थी क्योंकि बंद की गई 51 परियोजनाओं में से 36 परियोजनाए ऐसी प्रौद्योगिकी को स्टाफ परियोजनाओं में उपयोग में नही ला सकी।

(अध्याय-VI)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की रक्षा सहायता अनुदान योजना

वैज्ञानिक महत्व की समस्याओं पर और अधिकतर रक्षा हितों वाले क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य करने हेतु आई आई टीज़ विश्वविद्यालयों, उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्थानों आदि में स्वदेशी रूप में उपलब्ध अनुसंधान प्रतिभा और सुविधाओं का उपयोग करने के लिए रक्षा सहायता अनुदान योजना शुरू की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि योजना के प्रबंधन तथा मॉनीटरिंग में फलीभूत होने योग्य एवं विशिष्ट अनुसंधान उद्देश्य निर्धारित किए बिना तथा प्राप्त किए जाने वाले परिणात्मक तथा गुणवत्मक लक्ष्य को परिभाषित किए बिना परियोजना प्रदान करना जैसी कमियां थी। अधिकांश व्यय उपकरणों की खरीद पर हुआ था परंतु अधिकांश मामलों में उपकरणों के निपटान को प्राप्तकर्ता संस्थानों की इच्छा

के अनुसार उनपर छोड़ा दिया गया। ऐसी परिस्थिति में यह योजना संतोषजनक नहीं है। आधारभूत अवसंरचना के सृजन के लिए धन भी योजना के प्रावधानों के विरूद्ध संस्वीकृत किया गया था।

(अध्याय VII)

आयुध फैक्ट्री बोर्ड का कार्यनिष्पादन

आयुध फैक्ट्री संगठन, जिसके अंतर्गत 41 आयुध फैक्ट्रियाँ (परियोजना स्तर पर दो फैक्ट्रियों को मिलाकर) कार्यरत हैं, में 96,317 कार्मिक कार्यरत हैं, जो प्राथमिक रूप से देश के सशस्त्र बलों के लिए शस्त्र, गोला-बारूद, उपस्कर, वस्त्रों आदि का उत्पादन करता है। फैक्ट्रियाँ, आयुध फैक्ट्री बोर्ड (बोर्ड) के अंतर्गत कार्य करतीं हैं। 2011-2012 में राजस्व व्यय 11 प्रतिशत बढ़ा किंतु 2012-2013 में मामूली रूप से 2 *प्रतिशत* घट गया। भंडार (48 प्रतिशत) एवं निर्माण व्यय (36 प्रतिशत) मिलाकर कुल राजस्व व्यय का 74 *प्रतिशत* था। तथापि दोनों अवयवों में 2012-2013 में थोड़ी कमी आई: भंडार में 7 *प्रतिशत* तथा निर्माण में 2 प्रतिशत।

2012-2013 के दौरान ₹ 349 करोड़ के पूंजीगत व्यय लगभग 2008-2009 के स्तर पर ही रहा तथा बोर्ड के कुल व्यय का 3 प्रतिशत था।

2012-2013 के दौरान 529 मदों के निर्माण का लक्ष्य था जिसके प्रति आयुध फैक्ट्रियों की सफलता का स्तर केवल 31 प्रतिशत रहा। संघटकों की समय से प्राप्ति तथा मांगों में अस्थिरता, सफलता का स्तर कम होने के प्रमुख कारण थे।

2012-2013 के दौरान, उत्पादन लागत (₹15972.44 करोड़) 2011-2012 की तुलना में लगभग समान ही रहा जिसमें भंडार, श्रम एवं उपरिव्यय लागत का भाग क्रमशः 61 प्रतिशत, 11 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत रहा। आठ आयुध फैक्ट्रियों में उत्पादन लागत पर उपरिव्यय की प्रतिशतता 50 प्रतिशत से अधिक रही। प्रत्येक 1.97 प्रत्येक श्रम पर एक पर्यवेक्षण अधिकारी के साथ पर्यवेक्षण प्रभार उच्च होने के कारण, उपरिव्यय अधिक रहा।

बोर्ड ने बताया कि 2012-2013 के दौरान, 2011-2012 की अपेक्षा ₹ 71 करोड़ (0.56 प्रतिशत) की कुल प्राप्तियों की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, 2012-2013 के दौरान निर्मित आधिक्य ₹118 करोड़ (16 प्रतिशत) कम हो गया। उत्पादों में प्रति-परिदान होने के कारण बोर्ड में अपर्याप्त लागत नियंत्रण था।

निर्यात से प्राप्त राजस्व 2011-2012 के ₹ 46 करोड़ से घटकर 2012-2013 में ₹15 करोड़ (67 *प्रतिशत*) हो गया।

(पैराग्राफ 8.1)

आयुध फैक्ट्रियों में भंडार-सूची प्रबंधन

आयुध फैक्ट्रियों में ₹10490 करोड़ (31 मार्च 2013) का भंडार विद्यमान था जो उत्पादन लागत का दो तिहाई था। हमारी लेखापरीक्षा में 2010-2011 से 2012-2013 के वर्षों के दौरान, भंडार-सूची प्रबंधन के संबंध में आयुध फैक्ट्री बोर्ड के निष्पादन तथा नौ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों को शामिल किया गया है। चयनित फैक्ट्रियों में कुल मिलाकर ₹ 4799 करोड़ मूल्य का भंडार विद्यमान था जो 31 मार्च 2013 को सभी आयुध फैक्ट्रियों द्वारा रक्षित कुल भंडार का 46 प्रतिशत था।

विद्यमान भंडार (एस.आई.एच.) अर्थात फैक्ट्री के भंडार अनुभाग में उपलब्ध कच्चे माल का भंडार आयुध फैक्ट्रियों में एक गंभीर विषय है। 31 मार्च 2013 को नौ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में उपलब्ध भंडार का

50 प्रतिशत एस.आई.एच. के रूप में था जिसका मूल्य ₹ 2425 करोड़ था। नौ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में निष्क्रिय एस.आई.एच अर्थात वे मद जो क्रय के पश्चात तीन अथवा अधिक वर्षों से उपयोग में नहीं लाए गए, 2010-2013 के दौरान 73 प्रतिशत बढ़ गया। हमारे विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में एस.आई.एच. का 95 प्रतिशत भाग प्राधिकृत सीमा से अधिक था। सीमा से अधिक रक्षित इन मदों का 4/5 से अधिक भाग वे मद थे जो हमारे विश्लेषण की अवधि 2012-2013 के दौरान बिल्कुल उपयोग में नहीं लाए गए। ₹ 96 करोड़ मूल्य के मद केवल निर्धारित भंडारण सीमा से अधिक ही नहीं थे बल्कि 2010-2013 के दौरान उनकी अधिप्राप्ति के पश्चात एक बार भी उपयोग में नहीं लाए गए। उपयोग के सभी विकल्पों के उपयोग की वर्तमान प्रक्रिया विफल रही जिसके कारण निष्क्रिय भंडार निर्मित हुआ। दूसरी तरफ, सक्रिय भंडार की परिभाषा (एक मद 'सक्रिय' के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब वह वर्ष के दौरान एक भी यूनिट उपयोग कर लिया जाता है) प्रतीकात्मक उपयोग का भारी जोखिम उत्पन्न करता है जिसके कारण उसे निष्क्रिय भंडार से अलग रखा गया है। सभी नौ फैक्ट्रियों ने ₹ 373 करोड़ मूल्य के 5925 मदों के प्रति प्रतीकात्मक उपयोग दर्ज किया जो कि एक सामान्य रूझान था।

जारी कार्य (डब्ल्यू.आई.पी.) वह सामग्री होती है फैक्ट्री के उत्पादन शॉप में उत्पादन के अधीन होती है। 2010-2013 के दौरान नौ फैक्ट्रियों में डब्ल्यू.आई.पी. 21 प्रतिशत बढ़ गया तथा मार्च 2013 तक डब्ल्यू.आई.पी. का मूल्य ₹ 1501 करोड़ हो गया। डब्ल्यू.आई.पी. में वृद्धि का उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप न होना, खुले अधिपत्रों अर्थात कई कारणों से उत्पादन के बन्द होने के बावजूद खुले अधिपत्रों के प्रति सामग्री अथवा श्रम की छद्म प्रविष्टि के जोखिम की ओर इंगित करता है। यद्यपि अधिपत्रों का 6 माह के अंदर समापन हो जाना चाहिए किंतु आठ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में 17 प्रतिशत अधिपत्र एक वर्ष से अधिक पुराने थे। एक वर्ष से अधिक अवधि तक खुले अधिपत्रों का मूल्य ₹ 434 करोड़ था फैक्ट्रियाँ अस्वीकृत स्टॉक को डब्ल्यू.आई.पी. अथवा पारगमन भंडार के रूप में कुछ मामलों में 20 वर्ष से अधिक अवधि से दर्शा रहीं थी जो कि प्रकाश में नहीं लाया जा सका। सामग्री की पुनरीक्षा तथा अस्वीकृति के कारण हानि के लिए दायित्व तय करने की प्रक्रिया लंबी होने के कारण फैक्ट्रियों में अस्वीकृत भंडार को डब्ल्यू.आई.पी. अथवा एस.आई.टी. के रूप में दिखाकर अस्वीकृति को "छिपाने" की प्रवृत्ति बढ़ी जबकि दायित्व तय करने में विलंब से उद्देश्य पूर्ण न हो सका।

भौतिक सत्यापन द्वारा प्रदत्त आश्वासन अपर्याप्त था तथा उससे भंडारों के भौतिक उपलब्धता की सही स्थिति प्रदर्शित नहीं होती थी। शॉप से मांग नोंट के बिना सामग्री के 'ऋण निर्गम' के उपयोग के लिए बोर्ड की संस्वीकृति नहीं थी जो एक अनुचित प्रथा है। बोर्ड द्वारा भंडारण की पुनरीक्षा विस्तृत नहीं थी तथा उससे फैक्ट्रियों को स्पष्ट तथा निश्चित निर्देश नहीं प्राप्त होते थे।

(*पैराग्राफ 8.2*)

एम.बी.टी. अर्जुन एवं टी-90 भीष्म टैंक का देशज उत्पादन

2002-2009 के दौरान, मंत्रालय के 124 एम.बी.टी. अर्जुन के प्रवर्तन की योजना के प्रति आयुध फैक्ट्रियों ने 2004-2013 के दौरान, थलसेना को 119 एम.बी.टी. अर्जुन की आपूर्ति की। रूस के साथ प्रौद्यगिकी के हस्तांतरण (2001) के आधार पर, 2006-2010 के दौरान 300 देशज टी-90 टैंकों के प्रदाय की योजना समय से पूरी न हो सकी तथा मात्र 225 टी-90 टैंकों का उत्पादन हुआ और 2009-2013 की अवधि में केवल 167, टी-90 टैंकों को थल सेना को निर्गमित किया जा सका। दोनों टैंकों के उत्पादन में अत्यधिक विलंब के कारण, ₹ 4913 करोड़ मूल्य के टी-90 टैंकों का नवीन आयात (नवंबर 2007) करना पड़ा। यद्यपि सितंबर 2011 में स्वीकृत, टी-90 टैंकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की परियोजना अत्यंत धीमी थी, थलसेना से एम.बी.टी. अर्जुन के अग्रिम आदेशों के अभाव में एम.बी.टी. अर्जुन के लिए विद्यमान सुविधाएँ अल्प प्रयुक्त रहीं।

(*पैराग्राफ 8.3*)

आयुध फैक्ट्रियों में क्षमता वृद्धि

दस आयुध फैक्ट्रियों (जिनकी प्रतिदर्श जाँच हुई) में मशीनरी की अधिप्राप्ति से उत्पादन क्षमता में कमी का रूझान था जो कि 2010-2011 के 683 लाख घंटों से घट कर 2012-2013 में 639 लाख घंटे हो गया। ₹ 343 करोड़ मूल्य के 170 मशीनों (36 प्रतिशत) की प्राप्ति में विलंब तथा ₹ 317 करोड़ मूल्य की 213 मशीनों (29 प्रतिशत) की स्थापना में विलंब के कारण फैक्ट्रियाँ आधुनिकीकरण का समय से लाभ प्राप्त नहीं कर सकीं। प्रेषण पूर्व जाँच तथा स्थापना पूर्व परीक्षण में कमियों के कारण मशीनों की स्थापना में विलंब हुआ तथा कुछ मामलों में, गुणवत्ता से समझौता करके मशीनरी की स्वीकृति हुई। अल्प उपयोग की अत्यधिक आवृत्ति (21 से 24 प्रतिशत मशीनें, क्षमता का 30 प्रतिशत उपयोग हुई) एवं खराबियों के कारण फैक्ट्रियाँ अपने लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहीं। ये विषय, जो कि बोर्ड के निष्पादन पर सीधा प्रभाव डालते हैं, पर उच्चतम स्तर के प्रबंधन ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।

(पैराग्राफ 8.4)

अवयवों की अधिप्राप्ति पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय

सहयोगी फैक्ट्रियों के कुल व्यवसाय लागत से अधिक सामग्री की लागत होने के कारण ₹ 3.99 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ, इसके बावजूद भी आयुध फैक्ट्री कटनी/आयुध फैक्ट्री अंबरनाथ द्वारा आयुध फैक्ट्री कानपुर (ओ.एफ.सी.) से रोड एल्युमिनियम एलाय/कापर ट्यूब की अधिप्राप्ति।

(पैराग्राफ 8.6)

थोक उत्पादन स्वीकृति के पूर्व दोषपूर्ण भंडारों की स्वीकृति

आयुध फैक्ट्री बोर्ड के निर्देशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप थोक उत्पादन स्वीकृति के प्राप्ति के पूर्व दोषपूर्ण भंडारों के स्वीकृति के कारण ₹ 93.61 लाख की हानि।

(पैराग्राफ 8.7)

अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति के कारण अलाभकारी उत्पादन

अंतर फैक्ट्री मांग के द्वारा मैग्जीन संयोजन के पर्याप्त भंडार के बावजूद राइफल फैक्ट्री ईशापुर ने ₹ 1.27 करोड़ की दर पर स्प्रिंग प्लेटफार्म की खरीददारी की जो कि परिहार्य था तथा जिसके कारण उत्पादन की लागत में वृद्वि हो गई।

(पैराग्राफ 8.9)

माइनों का दोषपूर्ण उत्पादन

मरम्मत/प्रतिस्थापना के बिना सेना डिपो में ₹ 35.97 करोड़ की कीमत के माइनों के पृथकता के कारण जुड़ाव को ठीक तरह से सील करने की उनकी असफलता एवं आयुध फैक्ट्री चांदा/उच्च विस्फोटक फैक्ट्री किरकी से दोषपूर्ण माइनों का उत्पादन।

(पैराग्राफ 8.10)

एक निजी विद्युत सुविधा प्रदाता को अनावश्यक लाभ

आयुध फैक्ट्री बोर्ड/गन एवं शेल फैक्ट्री काशीपुर के निर्धारित दरों के अनुसार एक निजी बिजली आपूर्तिकर्ता से पट्टा किराया एवं प्रीमियम वसूली के असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.64 करोड़ के राजस्व की हानि हुई तथा इसके कारण एक निजी बिजली आपूर्तिकर्ता को अनावश्यक लाभ हुआ।

(पैराग्राफ *8.13)*

सुखॉय -30 एम के आई वायुयान का लाइसेंस उत्पादन

चूँकि मिग-21 सीरीज वायुयानों को कलप्रभावित बेडे जिनका तकनीकी जीवनकाल जल्दी ही समापन होनेवाला था को उड़ान 2000 से 2010 तक बंद किया जाता था, रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) ने रूसी सरकार से 50 सुखॉय -30 एम के वायुयानों की सीधी खरीद की (1996 और 1998)। 140 वायुयानों,920 इंजनों एवं वायुवाहित उपकरणों के 140 सेटों के उत्पादन के लिए भारत को लाइसेंस तथा तकनीकी प्रलेखन के हस्तांतरण के लिए रूस के साथ एक अंतरसरकारी उपबंध किया (अक्तूबर 2000)।

(पैराग्राफ 9.1.2.1)

इसके अनुसार तथा तत्काल आवश्यकता पर विचार करते हुए आई ए एफ ने चार चरणों मे एच ए एल से वायुयानों के लिए आदेश दिया (जनवरी 2001), जिसके अनुसार सुपुर्दगी 2017-18 तक निर्धारित की गई है। एच ए एल ने बाद मे लाइसेंस उत्पादन को सुगम बनाने कि लिए रोसोबोरोएक्सपोर्ट (आर ओई) के साथ एक सामान्य संविदा की। मार्च 2006 में, लड़ाकू वायुयानों के बलस्तरों में अत्यधिक कमी का विचार करते हुए परिवर्तित चरण संरचना के साथ सुपुर्दगी 2014-15 तक करने के लिए निर्धारित की गई थी

(पैराग्राफ 9.1.2.3)

तत्काल आवश्यकता के रूप में 40 अतिरिक्त वायुयानों के लिए आई ए एफ के प्रस्ताव के आधार पर 'बाई' से 'मेक' में अधिप्राप्ति को संशोधित करने के एच ए एल के अनुरोध पर विचार करते हुए एक दूसरा आदेश एच ए एल को दिया। आई ए एफ के बल स्तरों में कमी से बचने तथा एच ए एल के पास उपलब्ध टी ओ टी का उपयोग करने के लिए पुनरादेश के रूप में 42 वायुयानों की आपूर्ति के लिए एच ए एल को और एक आदेश दिया गया।

(पैराग्राफ 9.1.2.5)

एच ए एल को आर ओ ई से यथा अपेक्षित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के सभी संघटक प्राप्त नही हुए, जिसने डिलिवरेबल्स की सामयिक आपूर्ति को प्रभावित किया। 2009-10 से निर्धारित कच्चे माल स्टेज से इंजनों का उत्पादन दिसंबर 2013 तक भी शुरू नहीं किया गया था। वायुयाना तथा इंजनों की मरम्मत एवं ओवरहॉल के लिए प्रलेखन की प्राप्ति में विलंब था, जिसके परिणास्वरूप मरम्मत एवं ओवरहॉल के लिए सुविधाएं स्थापित करने में विलंब हुआ। खरीद उत्पादन अनुसूची के तुल्यकालिक नहीं होने के कारण एच ए एल ने आवश्यकता के पहले ही ₹ 1,725.41 करोड़ की वस्तुसूची की अधिप्राप्ति की। एच ए एल में वायुयानों के लिए मरम्मत एवं ओवरहॉल सुविधाओं की विलंबित स्थापना के कारण आई ए एफ द्वारा टी बी ओ जीवनकाल को 10 वर्षों से 12 वर्षों में बढ़ाया गया।

(पैराग्राफ 9.1.3.2,9.1.3.3,9.1.3.4.,9.1.3.5 और 9.1.3.6)

आई ए एफ को एच ए एल से 2012-13 तक देय 112 वायुयानों के प्रति 81 वायुयान प्राप्त हुए। यह आर ओ ई से तकनीकी प्रलेखों की प्राप्ति तथा प्राप्त त्रुटिपूर्ण टूलिंग के परिशोधन में विलंब के कारण था। स्नैग परिशोधन के कारण संकेतन के पश्चात भी वायुयान को पार उतारने में 275 दिनों तक के विलंब हुए थे। एम ओ डी ने वायुयानों की विलंबित आपूर्ति के कारण एच ए एल से ₹ 96.26 करोड़ की परिनिर्धारित हानियों की वसूली की । यद्यपि यह विलंब आर ओ ई के कारण हुआ था,परंतु समर्थक प्रावधान के अभाव में आर ओ ई से एच ए एल उसकी वसूली नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त,आर ओ ई के साथ रोल उपकरणों हेतु उपबंध करने में विलंब के कारण एच ए एल समय पर उसका परिदान नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप एम ओ डी ₹ 4.77 करोड़ की परिनिर्धारित हानियां लगाई गई। दिसंबर 2000 की सामान्य संविदा में निदिष्ट मूल्य की अवहेलना करते हुए इंजन किटों की अधिप्राप्ति के लिए एच ए एल द्वारा नयी दरों की स्वीकृति के कारण ₹ 66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 9.1.4.1,9.1.4.2,9.1.4.4. और 9.1.4.10)

एम ओ डी के साथ की गई संविदा मे भारग्रहण वर्ष के संदर्भ के बिना देर उद्धत करने तथा वृद्धि खंड का समावेश न करने के कारण एच ए एल आई ए एफ को ग्राउंड हैडलिंग उपकरण / ग्राउड सपोर्ट उपकरण की आपूर्ति में ₹ 66.61 करोड़ की वसूली नहीं कर सका।

(पैराग्राफ 9.1.4.5.1)

संविदा में संशोधन करते समय एम ओ डी द्वारा गलत विनिमय दर अपनाने के कारण, 40 वायुयानों के लिए अतिरिक्त संविदा के प्रति वायुयानों की आपूर्ति में एच ए एल को ₹ 101.72 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ 9.1.4.6)

कच्चे माल से स्वदेशी रूप से विनिर्मित वायुयानों पर एयरफ्रेम का अनिवार्य फटीग परीक्षण नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 9.1.4.11)

कैप्टिव खपत हेतु पावर का उपयोग न होने के कारण हानि।

कैप्टिव खपत हेतु विन्ड मिल फार्म द्वारा उत्पादित पावर का उपयोग न करना तथा पावर का क्रय करने के लिए भोरूका पावर निगम लिमिटेड और बैंगलोर बिजली वितरण कम्पनी लिमिटेड (बी ई एस सी ओ एम) को किये गये भुगतान से कम कीमत पर बी ई एम एल लिमिटेड द्वारा हुबली बिजली वितरण कम्पनी लिमिटेड (एच ई एस सी ओ एम) को पावर की बिक्री के परिणामस्वरूप ₹5.67 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ 9.2)

क्षतिपूर्ति हर्जाने की वसूली न करना ।

बी ई एम एल लिमिटेड द्वारा एल डी की गैर पर्वतनीय शर्तो की स्वीकृति से भुगतान को रोकने में दो बार विफलता के परिणामस्वरूप ₹12 करोड़ की एल डी की वसूली नही हुई ।

(पैराग्राफ 9.3)

ए सी ई एम यू डिब्बों की आपूर्ति में ₹9.81 करोड़ की हानि ।

बी ई एम एल द्वारा एयर कन्डिशनिंग इलेक्ट्रिक मलटीपल यूनिट की आपूर्ति के प्रस्ताव में मूल्य वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर को शामिल न करने के परिणामस्वरूप ₹5.51 करोड़ की वसूली नही हुई और डिब्बों की आपूर्तियों में विलंब होने के परिणामस्वरूप ₹2.99 करोड़ के निर्णित हरजाने का भुगतान किया। आगे, निर्धारित सुपुर्दगी सूची के बाद सुपुर्दगियों हेतु दिए गए उत्पाद शुल्क के रूप में कम्पनी ने ₹1.31 करोड़ समायोजित किये क्योंकि सुपुर्दगी सूची का विस्तार निराकरण खण्ड के साथ था।

(पैराग्राफ 9.4)

सामग्री की अधिप्राप्ति में विलंब के कारण हानि ।

कच्ची सामग्री की अधिप्राप्ति में विलंब से ₹15.52 करोड़ की मूल्य वृद्वि की वसूली नही हुई और फलस्वरूप पूर्ति में विलंब के परिणामस्वरूप मिश्र धातु निगम लिमिटेड पर ₹1.47 करोड़ की एल डी लगी।

(पैराग्राफ 9.5)